फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्री प्रेमलाल — **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. — **पत्रावली संख्या : 139/23**

जीसीएमएस : 2023/401

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा 50 पचास रूपये स्टाम्प पर प्रार्थी स्वयं प्रेमलाल का शपथ पत्र पेश किया। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमा पिता भुरा गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 13.02.2024, आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम प्रेमलाल पिता भूरालाल अंकित है। तहसीलदार मावली द्वारा भी रिपोर्ट पेश कर प्रेमा पिता भूरा एवं प्रेमलाल पिता भूरालाल दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लोपडा पटवार हल्का लोपडा तह. मावली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 276 पर दर्ज आराजी नम्बर 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920 किता 14 कुल रकबा 3.5045 हेक्टेयर भूमि में खातेदार प्रेमा पिता भूरा के बजाय प्रेमा उर्फ प्रेमलाल पिता भूरा उर्फ भूरालाल संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:41:30 IST
Reason: SelfAttested